सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 3–ए, बी के अंतर्गत वांछित जानकारी
विकास आयुक्त कार्यालय – विकास शाखा–1

क्र.	विवरण	जानकारी
(i)	the particulars of its organization, functions and duties	इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जानकारी अधिकारी एवं कर्मचारीवार परिशिष्ट–''एक'' पर दर्शित है।
(ii)	the powers and duties of its officers and employees	निरंक।
(iii)	the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability	विकास आयुक्त एवं अपर विकास आयुक्त के निर्देशन में कार्य सम्पन्न किया जाता है।
(iv)	the norms set by it for the discharge of its functions	उपरोक्तानुसार।
(v)	the rules, regulation, instructions, manuals and records held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;	भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार उपरोक्त योजनाओं के संबंध में निर्देश जारी किये गये निर्देशों का संकलन परिशिष्ट–'दो' पर दर्शित है।
(vi)	a statement of categories of documents that are held by it or under its control;	जानकारी परिशिष्ट–'तीन' पर दर्शित है।
(vii)	the particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;	नीतिगत कोई भी निर्णय शाखा में नहीं लिया जाता है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही कार्य सम्पन्न किया जाता है।
(viii)	a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;	राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित है। जानकारी परिशिष्ट–'चार' पर दर्शित है।
(ix)	a directory of its officers and employees;	जानकारी परिशिष्ट–'पांच' पर दर्शित है।
(x)	the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	जानकारी परिशिष्ट–'छः' पर दर्शित है।

(xi)	the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	शाखा को कोई आबंटन प्राप्त नहीं होता तथा आवंटन नहीं किया जाता।
(xii)	the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	सबसीडी से संबंधित कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है।
(xiii)	particulars of receipts of concessions, permits or authorisations granted by it;	संबंधित नहीं है।
(xiv)	details in respect of the information, available to or held by it, reduced in electronic form;	इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की मासिक, वार्षिक, वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी।
(xv)	the particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;	वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।
(xvi)	the names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	निरंक।
(xvii)	such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year,	निरंक।

इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग का कार्य अधिकारी/कर्मचारीवार

विकास शाखा–1

1.	उपायुक्त –	श्री श्याम सिंह
2.	अधीक्षक –	श्री जे.एच.केवलानी
3.	श्री ए.के.विजयवर्गीय, सहा.सां.अधिकारी	इंदिरा आवास योजना व प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन संबंधी भारत/राज्य सरकार से जारी दिशा निर्देश। समय– समय पर राज्य शासन स्तर पर योजना से संबंधित पाक्षिक, मासिक एवं वार्षिक जानकारी। राज्य योजना मंडल/आदिम जाति कल्याण एवं अन्य विभागों को जानकारीउपलब्ध कराना तथा योजना से संबंधित समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यं ।
4.	श्री रमेश जैन, सहा.ग्रेड–3	इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से संबंधित मानिटरिंग कार्यं
5.	श्री मानसिंह अहिरवार, संगणक	योजनांतर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि, प्रस्ताव का लेखा जोखा।
6.	कु. आशा, डाटा एन्ट्री आपरेटर	इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री से संबंधित कार्य

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र./ /एफ– 29 /22/वि–7/ग्राआ/05 भोपाल, दिनांक /06/2005

प्रति,

कलेक्टर, (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,(समस्त)
जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– इंदिरा आवास योजनांतर्गत का क्रियान्वयन वर्ष 2005–06

–0–

इंदिरा आवास योजनांतर्गत हितग्राही चयन एवं हितग्राहियों को राशि के भुगतान के संबंध में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 21.04.05 (प्रति संलग्न है।) का अवलोकन करे। पत्र में योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2002 की बीपीएल सर्वेक्षण, जो म0प्र0 में वर्ष 2003 में संपन्न हुआ है, के आधार पर हितग्राहियों की दो सूचियां 5 वर्ष के लिए तैयार करने का उल्लेख है। इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.05.05(प्रति संलग्न) के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार जब तक वर्ष 2003 की बी0पी0एल0 सर्वेक्षण सूची में कट–आफ निर्धारण हेतु उच्चतम न्यायालय का स्टे वेकेट नहीं होता तब तक वर्ष 2005–06 में योजना के क्रियान्वयन वर्ष 1997 की बी0पी0एल0 सर्वे सूची के आधार पर करने हेतु निर्देशित किया है। तद्नुसार हितग्राहियों के चयन की कार्यवाही की जावे।

वर्ष 2005–06 में इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी योजना की मार्गदर्शिका 01.04.04 के अनुसार वर्ष 2005–06 से नवीन आवास की लागत सीमा रू. 25000/– तक रहेगी, जबकि आवास उन्नयन की लागत सीमा रू. 10000/– यथावत रहेगी।
2. वर्ष 2005–06 में प्राप्त आवंटन में से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का उपयोग आवास उन्नयन में तथा 90 प्रतिशत राशि का उपयोग नवीन आवास में किया जावे। वर्ष 2005–06 के लिए जिलेवार प्रावधानित लक्ष्य की जानकारी परिशिष्ट–''अ'' पर दर्शित है। जिसके आधार पर जिला पंचायत, पंचायतवार लक्ष्यों का निर्धारण कर हितग्राही का चयन समय सीमा में सुनिश्चित करें।
3. जिले में गोकुल ग्राम प्रकल्प योजनांतर्गत चयनित ग्रामो में पात्र आवासहीनों को लाभान्वित करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे तथा ग्राम पंचायतों को लक्ष्य का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जावे। यदि पंचायत स्तर पर लक्ष्य के अंतर्गत गोकुल ग्राम के पात्र आवासहीन हितग्राही छूट जाते है तो जिला स्तर पर आरक्षित तीन प्रतिशत लक्ष्य में से ऐसे हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जावे। हितग्राही चयन प्रक्रिया विगत वर्ष अनुसार यथावत् रहेगी।

4 वर्ष 2005–06 में निर्मित होने वाले आवासों में शौचालय का निर्माण अनिवार्य रहेगा। शौचालय निर्माण के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा तैयार की गई तीन डिजाइन संलग्न है। प्रस्तावित डिजाइन में शौचालय की गुणवत्ता एवं उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा गया है। हितग्राही अपनी पसंद एवं आवश्यकता के अनुसार डिजाइन का चयन कर शौचालय का निर्माण कर सकता है। शौचालय निर्माण आवास निर्माण की स्वीकृत राशि में से ही हितग्राही द्वारा कराया जावेगा। जहां तक संभव हो शौचालय का निर्माण आवास से कुछ दूरी पर ही कराया जावे। हितग्राही को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा हितग्राही से शौचालय निर्माण पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का रहेगा। आवास उन्नयन में भी शौचालय निर्माण अनिवार्य होगा। शौचालय निर्माण की सतत् समीक्षा जनपद एवं जिला स्तर पर की जावे।

5 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 21.04.05 के अनुसार हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु राशि अब दो किश्तों में दी जाना है। हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु राशि का निर्गमन दो किश्तों में भुगतान निम्नानुसार किया जावे :–

5.1 हितग्राहियों को नवीन आवास के लिए प्रथम किश्त रू. 15000/– व द्वितीय किश्त रूपये 10000/– के मान से तथा आवास उन्नयन में प्रथम किश्त रूपये 7000/– व द्वितीय किश्त रू. 3000/– के मान से उपलब्ध करायी जावे।

5.2 भारत सरकार से केन्द्रांश की प्रथम किश्त जिला पंचायत को प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर, जिला पंचायत ग्राम पंचायत के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवास लागत की 50 प्रतिशत राशि (केन्द्रांश+राज्यांश) प्रथम किश्त के रूप में पंचायत के हितग्राही मूलक खाते में एकाउंट पेयी चैक द्वारा जमा करायेगी।

5.3 जिला पंचायत से प्रथम किश्त प्राप्त होने के दिनांक से तीन दिवस के अंदर ग्राम पंचायत निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों को प्रथम किश्त एकाउंट पेयी चैक के द्वारा उपलब्ध करायेगी।

5.4 प्रथम किश्त की राशि से हितग्राही को आवास निर्माण के साथ शौचालय का निर्माण कराना होगा। अर्थात् प्रथम किश्त की राशि में से शौचालय का निर्माण पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। प्रथम किश्त के उपयोग का सत्यापन ग्राम पंचायत सरपंच संबंधित वार्ड के पंच एवं संबंधित सहायक विकास विस्तार अधिकारी की तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जावेगा।

5.5 द्वितीय किश्त की राशि जिला पंचायत से प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राही को द्वितीय किश्त का भुगतान शौचालय निर्माण किए जाने एवं प्रथम किश्त के उपयोग के सत्यापन के उपरांत ही एकाउंट पेयी चेक के द्वारा किया जावेगा।

5.6 हितग्राही के द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण किये जाने के बाद कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को प्रेषित किया जायेगा। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में हितग्राही का नाम, ग्राम, जाति, चयन क्रमांक, भुगतान की गई राशि एवं दिनांक तथा कार्य पूरा होने का दिनांक का विवरण अंकित होगा। जनपद पंचायत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र जिला पंचायत को प्रतिमाह प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध करायेंगें।

6 शौचालय निर्माण के साथ साथ प्रत्येक निर्मित होने वाले आवासों में उन्नत चूल्हें की स्थापना अनिवार्य है। उन्नत चूल्हा स्थायी किस्म का हो तथा इसके डिजाइन आदि के

संबंध में ऊर्जा विकास निगम या वन विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जा सकता है। उन्नत चूल्हा निर्माण के लिए एवं आवासों में चूल्हें की स्थापना का कार्य स्व सहायता समूह के माध्यम से कराया जावे।

उपरोक्त निर्देशों से जिले की समस्त जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को अवगत कराया जाकर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे। 30 जून, 05 तक समस्त अपूर्ण आवास पूर्ण करा लिये जावे। अधिकांश जिलों को योजना की प्रथम किश्त भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। अतः उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत उपयोग 30 सितम्बर, 05 तक करने हेतु नियोजित प्रयास किये जावे जिससे द्वितीय किश्त के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह भी सुनिश्चित करें कि योजना का पाक्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 20 तारीख तक तथा मासिक प्रतिवेदन माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध हो जावे।

(अलका सिरोही)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./ /एफ– 29/22/वि–7/ग्राआ/05 भोपाल, दिनांक /06/2005

प्रतिलिपिः–

1 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2 निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3 आयुक्त (समस्त), संभागीय आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। समस्त अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को निर्देश की प्रति यथा समय उपलब्ध करादे।

(अलका सिरोही)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजनाः–

1. योजना का क्रियान्वयन इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका अनुसारं
2. योजनांतर्गत सिर्फ नवीन आवासों का निर्माण।

परिशिष्ट–तीन

इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

विषय

1. इंदिरा आवास योजनांतर्गत आवासों की कमी भारत शासन से प्राप्त आवंटन की नस्ती।
2. इंदिरा आवास योजना की मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा। संभागीय एवं राज्य स्तर पर।
3. योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा समीक्षा पर कार्यवाही।
4. 20 सूत्रीय कार्यक्रम योजना का भौतिक सत्यापन।
5. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत के सूत्र क्र. 11–अ एवं 11–ब हेतु भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण।
6. योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एंव जनजाति के वार्षिक प्रतिवेदन।
7. योजनांतर्गत समय–समय पर प्राप्त मान0 सांसद, विधायक के प्रतिवेदन पर कार्यवाही।
8. लोक सभा एवं विधानसभा से संबंधित कार्य।
9. चुनाव घोषणा पत्र, प्राकलन समिति, आडिट इत्यादि कार्य।
10. प्रधानमंत्री ग्रामोदय (गामीण आवास) मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा। संभागीय एवं राज्य स्तर पर।
11. योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा समीक्षा पर कार्यवाही।

परिशिष्ट–चार

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 22/12/2004

//आदेश//

क्रमांक 12704 /22/वि–7/ग्रारो/2004 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानिटरिंग डिविजन के आदेश क्र. क्यू–13018/2/2002–ए–1(आरडी) Vol.II (Part) दिनांक 9/11/2004 को प्रावधान अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	माननीय मंत्रीजी, ग्रामीण विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य सचिव
3.	भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामांकित 4 लोकसभा सदस्य	सदस्य
4.	भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामांकित 1 राज्य सभा सदस्य	सदस्य
5.	श्री ध्यानेन्द्र सिंह, विधायक, रानीमहल, ग्वालियर, म.प्र.	सदस्य
6.	श्री प्रकाश सोनकर, विधायक, 66, लुनियापुरा, जूनी, इन्दौर, म.प्र.	सदस्य
7.	सुश्री निर्मला भूरिया, विधायक, ग्राम व पोस्ट माछलिया, सबरी भवन, झाबुआ, म.प्र.	सदस्य
8.	डॉ. राजेन्द्र पांडे, विधायक, 15, पुराना अस्पताल रोड, तहसील जावरा, जिला रतलाम, म.प्र.	सदस्य
9.	श्री वृजेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक, इंटोरी हाउस, राजलक्ष्मी होटल के पास, पन्ना, म.प्र.	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास, वित्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, योजना, कृषि, पशुपालन, जल संसाधन, समाज कल्याण, सहकारिता, वन एवं मत्स्य विभाग	सदस्य
11.	संचालक, संस्थागत वित्त	सदस्य
12.	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	सदस्य
13.	प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम	सदस्य
14.	भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामांकित KVTC का प्रतिनिधि	सदस्य
15.	भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामांकित 4 अशासकीय सदस्य	सदस्य
16.	भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2 प्रतिष्ठित अशासकीय संगठनों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
17.	एक प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय (जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो)	सदस्य

(मदन मोहन उपाध्याय)

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 12705/22/वि–7/ग्रारो/2004 भोपाल, दिनांक 22/12/04

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, ग्रामीण विकास विभाग
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास विभाग
3. श्री ध्यानेन्द्र सिंह, विधायक, रानीमहल, ग्वालियर, म.प्र.
4. श्री प्रकाश सोनकर, विधायक, 66, लुनियापुरा, जूनी, इन्दौर, म.प्र.
5. सुश्री निर्मला भूरिया, विधायक, ग्राम व पोस्ट माछलिया, सबरी भवन, झाबुआ, म.प्र.
6. डॉ. राजेन्द्र पांडे, विधायक, 15, पुराना अस्पताल रोड, तहसील जावरा, जिला रतलाम, म.प्र.
7. श्री वृजेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक, इंटोरी हाउस, राजलक्ष्मी होटल के पास, पन्ना, म.प्र.
8. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास, वित्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, योजना, कृषि, पशुपालन, जल संसाधन, समाज कल्याण, सहकारिता, वन एवं मत्स्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल
9. संचालक, संस्थागत वित्त, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
10. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, 35, श्यामला हिल्स, राजीव गांधी भवन, भोपाल
11. प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, 24 जोन–।।, एम.पी. नगर, भोपाल
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
13. संचालक, मानिटरिंग, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(मदन मोहन उपाध्याय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट–''पांच''

विकास आयुक्त कार्यालय, विकास शाखा–7 में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	पता	दूरभाष नम्बर			अन्य विवरण
			कार्यालय	निवास	मोबाइल	
श्री श्याम सिंह	उपायुक्त	ई–112/2, शिवाजी नगर भोपाल	2552893	2572993	–	
श्री जे.एच.केवलानी	अधीक्षक	बी–पुरा–4 थाने के पास, बैरागढ़ भोपाल			9893102908	
श्री ए.के.विजयवर्गीय	सहा. सां. अधिकारी	7/201, शालीमार स्अर्लिंग काम्पलेक्स रायसेन रोड भोपाल		2600940		
श्री रमेश जैन,	सहा.ग्रेड–3	मकान नं.–23 गूजरपुरा गली नं. 3 भोपाल				
श्री मानसिंह अहिरवार	संगणक	द्वारा श्री देवीराम बड़ोदिया, बी–417, इंदिरा आश्रम मुल्ला कालोनी, बैरसिया रोड, करोंद भोपाल				
कु. आशा	डाटा एन्ट्री आपरेटर	एच–2/286, 1100 क्वाटर्स भोपाल				

परिशिष्ट–छैः

अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त होने वाला वेतन (विकास शाखा–7)

1	श्री श्याम सिंह, उपायुक्त	रू. 21,875/–	कुल वेतन
2	श्री जे.एच. केवलानी, अधीक्षक	रू. 11348/–	–''–
3	श्री ए.के.विजयवर्गीय, सहा.सां.अधि,	रू. 10336/–	–''–
4	श्री रमेश जैन, सहा.ग्रेड–3	रू. 6684/–	–''–
5	श्री मान सिंह अहिरवार, संगणक	रू. 6863/–	–''–
6	कु. आशा, डाटा एन्ट्री आपरेटर	रू. 5500/–	–''–

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. /22/वि–2/ग्राआ/05 भोपाल, दिनांक /10/05

प्रति,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय भोपाल।

विषयः– सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन।
संदर्भः– आपका पत्र क्र. 1780/22/वि–5/स्था./05 दिनांक 03.8.05

–0–

उक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। कानून एवं व्यवस्था मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम का अध्ययन कर विकास–7 (इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना) की बिन्दुवार जानकारी जानकारी संलग्न कर आपकी ओर अग्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(श्याम सिंह)
उपायुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल